मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. ~~एफ-20-2/~~ 175/1354/2021/20-1

भोपाल, दिनांक 18.2.2021

:: **आदेश** ::

माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर म.प्र. में दायर याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 22947/2019 – श्री रामजी लाल पिप्पल, सेवानिवृत्त बी.ई.ओ. अम्बाह, मुरैना एवं अन्य 05 विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में दिनांक 06.11.2019 को निर्णय पारित किया गया कि –

Learned counsel for the petitioners submits that since no order on merits has been passed, he would be satisfied if direction be issued to the respondents No. 1 and 2 to decide the representation.

On the other hand, learned Panel Lawyer for the State has no objection to the innocuous prayer made by the petitioners.

Under these circumstances, petitioners are directed to file a fesh representation before the respondents No. 1 and 2 within a period of 15 days, If such representation is filed alongwith copy of writ petition as well as order passed today within a period of 15 days, respondents No. 1 and 2 shall decicde the representation in accordance with law nad pass a reasoned and speaking order as expeditiousl as possible preferably within a period of three months from the date of receipt of certified copy of the order passed today and communicated the outcome of the same to the petitioners forthwith.

It is made clear that this Court has not expressed any opinion on merits of the case.

With the aforesaid, this petition stands disposed of.

उक्त निर्णय में प्रतिवादी क. 1 एवं 2 को याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन का निराकरण करने के निर्देश प्रदान किए गए ।

मान. न्यायालयीन निर्णय के कम में आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 14.11.2019 का निराकरण किया जाना है । प्रकरण में आवेदक श्री रामजी लाल पिप्पल एवं अन्य 05 द्वारा मुख्यतः यह लेख किया गया है कि समान दिनांक पर नियुक्त हुए परंतु समय पर पदोन्नति न पाने के कारण कनिष्ठ हो गए कुछ शिक्षकों से, याचिकाकर्ताओं को कम ग्रेड–पे मिल रहा है । जैसे तीस वर्ष पूर्ण करने पर तृतीय कमोन्नति पाने वाले कर्मचारियों को 6600 ग्रेड–पे मिल रहा है, जबकि वरिष्ठ एवं समकक्ष कर्मचारी जिनकी तीन पदोन्नतियां हो चुकी हैं उन्हें 5400/– का ही ग्रेड पें मिल रहा है । इस आधार पर पदोन्नत कर्मचारियों द्वारा भी 5400/– ग्रेड–पे के स्थान पर 6600/– ग्रेड–पे की मांग की गई है ।

याचिका कमांक डब्ल्यू.पी. 22947/2019 में पारित निर्णय दिनांक 06.11.2019 के अनुकम में उद्भूत अवमानना प्रकरण 1299/2020 में मान0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा दिनांक 27.01.2021 को सुनवाई में अभ्यावेदन के निराकरण हेतु दो सप्ताह का समय दिया गया है । प्रकरण की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :–

1. याचिकाकर्ताओं को प्रथम नियुक्ति दिनांक से प्राचार्य, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पदोन्नति के दौरान निम्नांकित लाभ प्रदाय किए जा चुके है :–

क्र.	याचिकाकर्ताओं के नाम	प्रथम नियुक्ति का पद, दिनांक एवं वेतनमान	याचिकार्ताओं को दी गई पदोन्नति का	
			पद एवं दिनांक	वेतनमान
1	श्री रामजी लाल पिप्पल,	शिक्षक 10.07.86	व्याख्याता 06.09.97	5500–9000

अंतर्गत शिक्षक संवर्ग को वरिष्ठ वेतनमान प्राप्त होने के पश्चात यदि अगले 12 वर्ष तक पदोन्नति प्राप्त नहीं होती है तो उन्हें निम्नानुसार वरिष्ठ वेतनमान तथा क्रमोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया गया है :–

पदनाम	प्रारंभिक वेतनमान रूपये	वरिष्ठ वेतनमान रूपये (12 वर्ष) उपरांत	क्रमोन्नत वेतनमान रूपये (24 वर्ष) उपरांत
1	2	3	4
सहायक शिक्षक	4000–6000	5000–8000	5500–9000
शिक्षक	5000–8000	5500–9000	6500–10500
व्याख्याता	5500–9000	6500–10500	7500–12000

5. म0प्र0 सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क. सी–3–09/2017/3/एक दिनांक 25 अक्टूबर 2017 द्वारा सहायक शिक्षकों एवं शिक्षकों को निरंतर 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत निम्नानुसार तृतीय क्रमोन्नत वेतनमान की स्वीकृति प्रदान की गई है :–

पद व प्रारंभिक वेतनमान	12 वर्ष (प्रथम वरिष्ठ वेतनमान)	24 वर्ष (द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान)	30 वर्ष (तृतीय क्रमोन्नत वेतनमान)
1	2	3	4
सहायक शिक्षक (एल.डी.टी.) 4000–6000 (5200–20200+2400 ग्रेड–पे)	5000–8000 (9300–34800+3200 ग्रेड–पे)	5500–9000 (9300–34800+3600 ग्रेड–पे)	9300–34800+4200 ग्रेड–पे
शिक्षक (यू.डी.टी.) 5000–8000 (9300–34800+3200 ग्रेड–पे)	5500–9000 (9300–34800+3600 ग्रेड–पे)	6500–10500 (9300–34800+4200 ग्रेड–पे)	15600–37100+6600 ग्रेड–पे

6. म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क. एफ 1–1/1/वेआप्र/99 दिनांक 17.03.1999/19.04.199 में यह स्पष्ट निर्देश है कि तृतीय क्रमोन्नति वेतनमान की स्वीकृति उन कर्मचारियों को दी गई है जिन्हें सेवा के 30 वर्ष के दौरान कोई भी पदोन्नति/क्रमोन्नति/ चयन/अपग्रेडेशन द्वारा तीन उच्च वेतनमान न मिले हो ।
7. याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन में उनके द्वारा स्वयं ही यह स्वीकार किया गया है कि उन सभी को तीन–तीन पदोन्नतियां प्राप्त हो गई है । इस प्रकार उक्त याचिकाकर्ताओं का प्रकरण क्रमोन्नत वेतनमान पाने वाले सहायक शिक्षकों और शिक्षकों से भिन्न है ।
8. मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क. सी–3–09/2017/3/एक दिनांक 25 अक्टूबर 2017 अनुसार सामान्य विभाग के परिपत्र दिनांक 19.04.99 में निहित अन्य शर्तें यथावत लागू करते हुए तृतीय क्रमोन्नत वेतनमान 15600–37100+6600 ग्रेड पें की स्वीकृति जारी की गई है । सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 19.04.99 में निहित शर्तों के अनुसार याचिकाकर्ताओं को तृतीय क्रमोन्नत वेतनमान 15600–37100+6600 ग्रेड पें पात्रता नहीं आती है ।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर एतद् द्वारा निर्णय लिया जाता है कि वित्त विभाग के उपरोक्त परिपत्रों के प्रकाश में याचिकाकर्ता श्री रामजी लाल पिप्पल, सेवानिवृत्त बी.ई.ओ. अम्बाह, मुरैना एवं अन्य 05 को 30 वर्षीय तृतीय क्रमोन्नत वेतनमान की पात्रता नहीं आती है । अतएव न्यायालयीन निर्णय के कम में याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 14.11.2019 अमान्य करते हुए निराकृत किया जाता है ।

उप सचिव 01/2/21
मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

	से0नि0 बी.ई.ओ.	740–1180	प्राचार्य हाईस्कूल 24.12.07 प्राचार्य, उमावि. 29.08.11	6500–10500 15600–39100+5400
2	श्री भगवान सिंह जौनवार, से0नि0 प्राचार्य	शिक्षक 08.02.79 246–460	व्याख्याता 03.08.96 प्राचार्य, हाईस्कूल 02.04.07 प्राचार्य, उमावि. 29.08.11	5500–9000 6500–10500 15600–39100+5400
3	श्री तुलाराम शाक्य, से0नि0 प्राचार्य	शिक्षक 15.01.81 246–460	व्याख्याता 13.01.93 प्राचार्य, हाईस्कूल 02.04.07 प्राचार्य, उमावि 29.08.11	5500–9000 6500–10500 15600–39100+5400
4	श्री कल्याण सिंह जाटव, बी.ई.ओ.	शिक्षक 05.07.82 246–460	व्याख्याता 22.08.98 प्राचार्य, हाईस्कूल 24.12.07 प्राचार्य, उमावि 22.09.13	5500–9000 6500–10500 15600–39100+5400
5	श्री आर.सी. सिकरोडिया, से.नि. प्राचार्य	शिक्षक 05.07.82 246–460	व्याख्याता 09.10.98 प्राचार्य, हाईस्कूल 02.04.07 प्राचार्य, उमावि 17.08.07	5500–9000 6500–10500 15600–39100+5400
6	श्री रामजी लाल मौर्य, बी.ई.ओ.	शिक्षक 10.07.86 1290–30– 1560–40 2040	व्याख्याता 02.09.96 प्राचार्य, हाईस्कूल 02.04.07 प्राचार्य, उमावि 29.08.11	1640–2900 9300–34800+4200 15600–39100+5400

2. याचिकाकर्ताओं की प्रथम नियुक्ति उच्च श्रेणी शिक्षक पद पर हुई है, जिन्हें 30 वर्ष के भीतर प्रथम नियुक्ति दिनांक से तीन उच्चतर वेतनमान का लाभ पदोन्नति के माध्यम से प्राप्त हो होने के कारण 30 वर्षीय तृतीय कमोन्नत वेतनमान की पात्रता नहीं होगी ।
3. म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क. एफ 1–1/1/वेआप्र/99 दिनांक 17.03.1999/19.04.199 द्वारा राज्य शासन के प्रत्येक नियमित कर्मचारी/ अधिकारी को जो एक ही वेतनमान में 12 वर्ष अथवा उसके अधिक तथा 24 वर्ष अथवा उसके अधिक अवधि में कमशः एक अथवा दो पदोन्नतियां/कमोन्नति/चयन/ अपग्रेडेशन द्वारा दो उच्च वेतनमान न मिले हो, उन्हें पूरे सेवाकाल में प्रवेश के समय लागू वेतनमान के अतिरिक्त कम से कम दो उच्चतर वेतनमानों का लाभ दिए जाने के निर्देश है ।
4. उपर्युक्त आदेश के अनुकम में म0प्र0 सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क. 1477/2796/1/3/05 दिनांक 03.09.2005 द्वारा शिक्षक संवर्ग हेतु कमोन्नत योजना लागू की गई, जिसके

पृ.क. एफ-20-2/176/1350/2021/20-1 भोपाल, दिनांक 11-2-21

प्रतिलिपि–

1. आयुक्त, लोक शिक्षण म.प्र. भोपाल
2. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर म.प्र.
3. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण विधि प्रकोष्ठ, ग्वालियर म.प्र.
4. जिला शिक्षा अधिकारी, मुरैना म.प्र.
5. उप संचालक, विधि (स्थानीय)
6. याचिकाकर्तागण – श्री रामजी लाल पिप्पल, से0नि0 बी.ई.ओ. अम्बाह मुरैना एवं अन्य 05 द्वारा कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, मुरैना म.प्र.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

11/2/21

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

स्कूल शिक्षा विभाग